

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 14/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/36

अनवान

1. श्री मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लि० जरिये अधिकार ग्रहिता श्री प्रतीक भटनागर पिता दिलीप भटनागर निवासी स्टाफ कॉलोनी, उदयपुर जिला उदयपुर राज०।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती जस कुंवर पत्नि उदयसिंह राजपूत निवासी मकान न. 43 होटल यश पेलैस के पास, नाकोडा नगर हिरण मंगरी सेंक्टर 3 उदयपुर राज०।
2. श्री भोपाल सिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी मकान न. 43 होटल यश पेलैस के पास, नाकोडा नगर हिरण मंगरी सेंक्टर 3 उदयपुर राज०।
3. श्री भूमिधारी जरिए तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज०।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.10.2023 को श्री पर्वत सिंह चुण्डावत R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा रणिया पटवार हल्का धावडिया तहसील भीण्डर निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	मेसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड श्रीपति नगर सा. मावली जरिये पूर्णकालिक निदेशक उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स प्रा. लि. श्री नवीन कुमार शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा सा. कुडासन गांधीनगर गुजरात खातेदार	487 मी.	38.4780	बीड प्र.	76.96
	योग	किता 01	38.4780	-	76.96
2.	जसकुंवर पत्नि उदयसिंह हिस्सा 1/2, भोपालसिंह पुत्र उदयसिंह हिस्सा 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार	487/1	2.3320	बीड प्र.	4.66
	योग	किता 01	2.3320	-	4.66

नोट :- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कल हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।